

**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के लिए रेपो संव्यवहार संबंधी लेखांकन गाइडलाइनें**

1. **लेखांकन गाइडलानों की अनुमेयता :** सरकारी प्रतिभूतियों और कार्पोरेट बॉन्ड प्रतिभूतियों और इन प्रतिभूतियों में तृतीय पक्ष रेपो सहित सभी संव्यवहारों पर संशोधित लेखांकन गाइडलाइन लागू होंगी।
2. मार्केट के सहभागी निवेश की तीनों श्रेणियों यथा सौदे के लिए धारित, विक्रय के लिए उपलब्ध और परिपक्वता हेतु धारित, में से किसी में भी रेपो कर सकते हैं।
3. एक रेपो संव्यवहार का आर्थिक सारतत्व इस प्रकार है: प्रतिभूतियों के विक्रय (क्रय) द्वारा निधियों के उधार लेने (उधार देने) की संक्रिया को रेपो सहभागियों की बहियों में दर्शाया जाए, इसका लेखांकन कोलेटराइज्ड उधार देने और उधार लेने के संव्यवहार के तौर पर किया जाए, जिसमें सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद का विकल्प हो। तदनुसार, रेपो विक्रेता अर्थात प्रथम चरण में निधियों को उधार लेने वाला, रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को विलग नहीं करेगा बल्कि इन्हें अपने निवेश खाते में बनाए रखेगा (परिशिष्ट II-2 में दिया गया उदाहरण देखिए) जो कि रेपो अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में आर्थिक हित को दिखाना बरकरार रखेगा। दूसरी तरफ रेपो का क्रेता अर्थात प्रथम चरण में निधियों को उधार देने वाला रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते में नहीं दिखाएगा लेकिन इसे अपने अलग उपशीर्ष में दिखाएगा ( देखिए परिशिष्ट II-1)। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य आउटराइट क्रय/विक्रय संव्यवहार की तरह ही रेपो के मामले में रेपो विक्रेता से रेपो क्रेता को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और प्रतिभूतियों के ऐसे लेनदेन को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का प्रयोग करते हुए दिखाया जाएगा। रेपो विक्रेता के मामले में बेची गई प्रतिभूतियों के लिए प्रथम चरण में रेपो खाते को क्रेडिट किया जाता है (निधियां प्राप्त हुईं), जबकि द्वितीय चरण में इन्हीं प्रतिभूतियों को जब खरीदा जाता है तो इसे रिवर्स कर दिया जाता है। इसी प्रकार रेपो क्रेता के मामले में प्रतिभूतियों की रकम के लिए रिवर्स रेपो खाते को डेबिट कर दिया जात है (निधियां उधार दी गईं) और जब प्रतिभूतियों को वापस बेचा जाता है तो द्वितीय चरण में इसी को रिवर्स कर दिया जाता है।
4. रेपो संव्यवहारों के प्रथम चरण को प्रचलित बाजार दरों पर संविदाकृत किया जाएगा। इस संव्यवहार का रिवर्सल (द्वितीय चरण) इस प्रकार होगा कि प्रथम और द्वितीय चरणों में हुए प्रतिलाभ की रकम का अंतर रेपो ब्याज को प्रकट करेगा।
5. रेपो/रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन करते समय अपनाए जाने वाले लेखांकन सिद्धांत इस प्रकार रहेंगे:
  - (i) कूपन / डिस्काउन्ट
    - ए. रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों पर कूपन/डिस्काउन्ट का संचयन रेपो अवधि के दौरान भी रेपो विक्रेता के पक्ष में होता रहेगा जबकि रेपो क्रेता के पक्ष में इनका संचय नहीं होगा।

बी. यदि रेपो के तहत प्रस्तुत प्रतिभूति पर ब्याज के भुगतान की तारीख रेपो अवधि के भीतर पड़ जाती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्ति की तारीख को ही प्रतिभूति के विक्रेता को दे दिया जाए क्योंकि द्वितीय चरण में विक्रेता द्वारा देय नकद प्राप्तियों में किसी प्रकार का इन्टरवीनिंग नकदी प्रवाह शामिल नहीं किया जाता है।

### (ii) रेपो ब्याज आय/व्यय

रेपो/रिवर्स रेपो का द्वितीय चरण पूरा हो जाने के बाद,

ए. रेपो के प्रथम चरण और द्वितीय चरण की प्रतिफल रकमों के बीच जो अंतर है उसे रेपो क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमशः रेपो ब्याज आय/व्यय के रूप में दिखाया जाएगा; और

बी. रेपो ब्याज आय/व्यय खाते में बकाया शेष को आय या व्यय के रूप में लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाए। जहां तक तुलनपत्र की तारीख को बकाया रेपो /रिवर्स रेपो संव्यवहारों का संबंध है तो तुलनपत्र की तारीख तक केवल संचित आय/व्यय को ही लाभ-हानि खाते में लिखा जाए। शेष अविध के लिए किसी भी रेपो आय/व्यय को आगामी लेखांकन अवधि में शामिल किया जाए।

### (iii) मार्किंग टू मार्केट

रेपो विक्रेता रेपो संव्यवहार के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को प्रतिभूति के निवेश वर्गीकरण के अनुसार मार्क टू मार्केट पद्धति को बनाए रखेगा। उदाहरण के लिए यदि रेपो संव्यवहारों के तहत बैंकों द्वारा बेची गई प्रतिभूतियां विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग के बाहर हैं तो ऐसे प्रतिभूतियों के लिए मार्क टू मार्केट मूल्यांकन कम-से-कम तिमाही में अवश्य किया जाए। ऐसी संस्थाएं जो निवेश वर्गीकरण का कोई मानदंड नहीं अपनाती हैं वे ऐसे रेपो संव्यवहारों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इसी प्रकार की प्रतिभूतियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार करेंगी।

## 6. लेखांकन पद्धति

इस बारे में अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति उदाहरण सहित परिशिष्ट II-1 और II-2 में दी गई है। अधिक कठोर लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग करने वाले सहभागी उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग बनाए रख सकते हैं।

## 7. खातों का वर्गीकरण

बैंकों द्वारा रेपो खाते में शेष राशियों को यथा उचित तरीके से अनुसूची-4 की मद सं. I (ii) या I (iii) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार रिवर्स रेपो खाते में शेष राशियों को यथा उचित तरीके से अनुसूची 7 के तहत मद I(ii)(a) अथवा I(ii)(ख) के तहत किया जाएगा। इस प्रकार रेपो ब्याज व्यय खाते और रिवर्स रेपो ब्याज व्यय खाते में शेषराशियों को क्रमशः अनुसूची 15 (यथोचित रूप से मद II या III के तहत) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और अनुसूची 13 (यथोचित रूप से मद III या IV) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। अन्य सहभागियों के लिए तुलनपत्र वर्गीकरण को संबंधित विनियामकों द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत नियंत्रित किया जाएगा।

## 8. प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा तुलनपत्र में दिए गए 'खातों संबंधी टिप्पणियां' में निम्नलिखित प्रकटीकरण दिया जाए:

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां i. सरकारी प्रतिभूतियां ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां iii. अन्य प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां i. सरकारी प्रतिभूतियां ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां iii. अन्य प्रतिभूतियां				

### रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए संस्तुत लेखांकन पद्धति

- i) निम्नलिखित खातों का रखरखाव किया जाए, यथा - i) रेपो खाता, ii) रिवर्स रेपो खाता, iii) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता, iv) रेपो ब्याज व्यय खाता v) रिवर्स रेपो प्राप्य ब्याज खाता और vi) रेपो ब्याज देय खाता।
- ii) उक्त के अलावा निम्नलिखित 'कॉन्ट्रा' खातों को भी रखा जाए, यथा - i) रेपो खाते के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता, (ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता, (iii) रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूतियों का खाता और (iv) रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता।

### रेपो

- i) रेपो संव्यवहार में प्रथम चरण में प्रतिभूतियों को बाजार से संबद्ध कीमतों पर बेचा जाए और द्वितीय चरण में उसी कीमत पर उनकी वापस खरीद की जाए। लेकिन द्वितीय चरण में प्रतिलाभ रकम में रेपो ब्याज भी शामिल किया जाए। इस क्रय और पुनर्खरीद को रेपो खाते में दिखाया जाए।
- ii) यद्यपि प्रतिभूतियों को रेपो विक्रेता के निवेश खाते में से विलग नहीं किया जाता है और रेपो क्रेता के निवेश खाते में शामिल नहीं किया जाता है, तथापि प्रतिभूतियों के अंतरण को आवश्यक प्रति प्रविष्टियों के माध्यम से दिखाया जाएगा।

### रिवर्स रेपो

- i) रिवर्स रेपो संव्यवहार में प्रथम चरण में प्रतिभूतियों को बाजार से संबद्ध कीमतों पर खरीदा जाए और द्वितीय चरण में उसी कीमत पर उनको बेचा जाए। लेकिन द्वितीय चरण में प्रतिलाभ रकम में रेपो ब्याज को शामिल किया जाए। इस क्रय और विक्रय को रेपो खाते में दिखाया जाए।
- ii) रिवर्स रेपो खाते में शेषराशियां तुलनपत्र के प्रयोजनों से निवेश खाते का हिस्सा नहीं रहेंगी लेकिन इन्हें एसएलआर प्रयोजनों के लिए शामिल किया जा सकता है यदि रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत अधिक्रीत प्रतिभूतियां अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं।

## रेपो/रिवर्स रेपो से संबंधित अन्य पक्ष

- i यदि रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों के ब्याज के भुगतान की तारीख रेपो अवधि के दौरान आती है, तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्ति की तारीख को ही क्रेता को नकद प्राप्ति के रूप में दे दिया जाएगा क्योंकि द्वितीय चरण में विक्रेता द्वारा देय नकद प्राप्तियों में किसी प्रकार का इन्टरवीनिंग नकदी प्रवाह शामिल नहीं किया जाता है।
- ii लेखांकन अवधि के अंत में बकाया रेपो संव्यवहारों के संबंध में ब्याज के संचय को दिखाने के लिए लाभ हानि खाते में उचित प्रविष्टियां दर्ज की जाएं ताकि रेपो ब्याज आय/व्यय को क्रमशः क्रेता/विक्रेता की बहियों में दिखाया जा सके और इन्हें देय व्यय/प्राप्य आय के रूप में डेबिट/क्रेडिट किया जाए। इस प्रकार दर्ज की गई प्रविष्टियों को आगामी लेखांकन अवधि के प्रथम कार्य दिवस को रिवर्स कर दिया जाए।
- iii रेपो विक्रेता यथा स्थिति अनुसार कूपन/डिस्काउन्ट का संचय प्राप्त करता रहेगा, यहां तक कि रेपो अवधि के दौरान भी लेकिन क्रेता के पक्ष में इनका संचय नहीं होगा।

इसके उदाहरण परिशिष्ट II-2 में दिए गए हैं।

रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन हेतु क्रियात्मक उदाहरण

यद्यपि इन निदेशों के पाठ में सामान्यतया 'रेपो' शब्द का प्रयोग रेपो और रिवर्स रेपो (जोकि रेपो संव्यवहार की प्रतिच्छवि ही है) दोनों को ही शामिल करते हुए किया गया है, तथापि इस परिशिष्ट में रेपो और रिवर्स रेपो दोनों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन बताई गई है ताकि स्पष्टता बनी रहे।

(अ) दिनांकित प्रतिभूति की रेपो/रिवर्स रेपो

1. कूपन वाली प्रतिभूति में रेपो का विवरण :

रेपो के तहत प्रस्तावित प्रतिभूति	7.17% 2028	
कूपन भुगतान की तारीखें	08 जनवरी और 08 जुलाई	
प्रतिभूति की बाजार में कीमत	₹.96.9000	(1)
रेपो की तारीख	26-मार्च-2018	
रेपो ब्याज दर	6.00%	
रेपो की समयावधि	8 दिन	
रेपो रिवर्सल की तारीख	03 अप्रैल 2018	
प्रथम चरण के लिए खंडित अवधि हेतु ब्याज*	$7.17\% \times 78/360 \times 100 = ₹.1.5535$	(2)
प्रथम चरण के लिए नकदी प्राप्ति	(1) + (2) = ₹.98.4535	(3)
रेपो ब्याज**	$₹.98.4535 \times 8/365 \times 6.00\% = ₹0.1295$	(4)
द्वितीय चरण के लिए नकदी प्राप्ति	(3)+(4) = ₹.98.4535 + ₹.0.1295 =	
	₹.98.5830	

\* दिन गणना की 30/360 संकल्पना का प्रयोग करते हुए

\*\* दिन गणना की वास्तविक/365 संकल्पना का प्रयोग करते हुए

## 2. रेपो विक्रेता के लिए लेखांकन (निधियों को उधार लेने वाला)

### प्रथम चरण

	डेबिट	क्रेडिट
नकदी	98.4535	
रेपो खाता		98.4535
रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूतियां-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)	98.4535	
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)		98.4535

### द्वितीय चरण

	डेबिट	क्रेडिट
रेपो खाता	98.4535	
रेपो ब्याज व्यय खाता	0.1295	
नकदी खाता		98.5830
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)	98.4535	
रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)		98.4535

### 3. रेपो क्रेता के लिए लेखांकन (निधियां उधार देने वाला)

प्रथम चरण

	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो खाता	98.4535	
नकदी खाता		98.4535
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)	98.4535	
रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)		98.4535

द्वितीय चरण

	डेबिट	क्रेडिट
नकदी खाता	98.5830	
रिवर्स रेपो खाता		98.4535
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता		0.1295
रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)	98.4535	
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)		98.4535

### 4. रेपो खाते के तहत प्राप्य प्रतिभूतियों के खाते में समायोजन खातों के लिए लैजर प्रविष्टियां

डेबिट		क्रेडिट	
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता (रेपो प्रथम चरण)	98.4535	रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता (रेपो द्वितीय चरण)	98.4535



रेपो खाते में बेची गई प्रतिभूतियां

डेबिट		क्रेडिट	
रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति-खाता (रेपो द्वितीय चरण)	98.4535	रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति-खाता (रेपो पहला चरण)	98.4535

रेपो खाते में खरीदी गई प्रतिभूतियां

डेबिट		क्रेडिट	
रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति- खाता (रेपो प्रथम चरण)	98.4535	रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति- खाता (रेपो द्वितीय चरण)	98.4535

रेपो खाते में प्रदेय प्रतिभूतियां

डेबिट		क्रेडिट	
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (रिवर्स रेपो द्वितीय चरण)	98.4535	रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (रिवर्स रेपो पहला चरण)	98.4535

5. यदि रेपो की समयावधि के दौरान ही तुलनपत्र की तारीख जा जाती है तो सहभागी अंतरण खाते अर्थात् रेपो ब्याज देय खाते और रिवर्स रेपो ब्याज देय खाते का प्रयोग करते हुए संचित ब्याज को दर्ज कर सकते हैं और अगले दिन इसे रिवर्स कर सकते हैं। रेपो के ब्याज की प्राप्य रकम और देय रकमों को लाभ हानि खाते में ले जाया जाएगा और तुलनपत्र में निम्नानुसार उचित प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी :

संव्यवहार चरण	प्रथम चरण	तुलनपत्र की तारीख	द्वितीय चरण
तारीखें	<b>26-मार्च-18</b>	<b>31- मार्च-18</b>	<b>03-अप्रैल-18</b>

**(a) 31-मार्च-18को रेपो विक्रेता की बहियों में प्रविष्टियां (निधियां उधार लेने वाला)**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रेपो ब्याज व्यय खाता [खाते की शेष राशि को लाभ-हानि में अंतरित किया जाना है]	0.0971 (6 दिन का रेपो ब्याज)	
रेपो ब्याज देय खाता		0.0971

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
लाभ-हानि खाता	0.0971	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.0971

**(b) 01-अप्रैल-18को रेपो विक्रेता (निधियों को उधार लेने वाला) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रेपो ब्याज देय खाता	0.0971	
रेपो ब्याज व्यय		0.0971

**(c) 31-मार्च-18को रेपो क्रेता (निधियों को उधार देने वाला) की बहियों में प्रविष्टियां**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो प्राप्त ब्याज खाता	0.0971	
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता [खाते की शेष राशि को लाभ-हानि में अंतरित किया जाना है]		0.0971 (6 दिन का रेपो ब्याज)

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.0971	
लाभ-हानि खाता		0.0971

**(d) 01-अप्रैल-18को रेपो क्रेता (निधियों को उधार देने वाला) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.0971	
रिवर्स रेपो प्राप्त ब्याज खाता		0.0971

## B. खजाना बिल का रेपो/रिवर्स रेपो

### 1. खजाना बिल पर किए गए रेपो का विवरण

रेपो के तहत प्रस्तावित प्रतिभूति	भारत सरकार के 91 दिवसीय खजाना बिल – परिपक्वता 21 जून 2018	
रेपो के तहत प्रस्तावित प्रतिभूति की कीमत	रु. 98.5785	(1)
रेपो की तारीख	26-मार्च-2018	
रेपो ब्याज दर	6.00%	
रेपो की समयावधि	8 दिन	
प्रथम चरण के लिए कुल प्राप्त नकदी	रु. 98.5785	(2)
रेपो ब्याज *	$\text{रु.} 98.5785 \times 6\% \times 8 / 365 = \text{रु.} 0.1296$	(3)
प्रथम चरण के लिए कुल प्राप्त नकदी	$(2)+(3) = \text{रु.} 98.5785 + \text{रु.} 0.1296 =$ $\text{रु.} 98.7081$	

\* दिन गणना की वास्तविक/365 संकल्पना का प्रयोग करते हुए

### 2. रेपो विक्रेता के लिए लेखांकन (निधियों को उधार लेने वाला)

प्रथम चरण

	डेबिट	क्रेडिट
नकदी	98.5785	
रेपो खाता		98.5785
रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति खाता ( कॉन्ट्रा द्वारा)	98.5785	
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)		98.5785

द्वितीय चरण

	डेबिट	क्रेडिट
रेपो खाता	98.5785	
रेपो ब्याज व्यय खाता	0.1296	
नकदी खाता		98.7081
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता ( कॉन्ट्रा द्वारा)	98.5785	
रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति-खाता ( कॉन्ट्रा द्वारा)		98.5785

**3. रेपो क्रेता के लिए लेखांकन (निधियां उधार देने वाला)**

प्रथम चरण

	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो खाता	98.5785	
नकदी खाता		98.5785
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता ( कॉन्ट्रा द्वारा)	98.5785	
रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता ( कॉन्ट्रा द्वारा)		98.5785

	डेबिट	क्रेडिट
नकदी खाता	98.7081	
रिवर्स रेपो खाता		98.5785
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता		0.1296
रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता ( कॉन्ट्रा द्वारा)	98.5785	
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (कॉन्ट्रा द्वारा)		98.5785

**4. रेपो खाते के तहत प्राप्य प्रतिभूतियों के खाते में समायोजन खातों के लिए लैजर प्रविष्टियां**

डेबिट		क्रेडिट	
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता (रेपो प्रथम चरण)	98.5785	रिवर्स रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति-खाता ( रेपो द्वितीय चरण)	98.5785

रेपो खाते में बेची गई प्रतिभूतियां

डेबिट		क्रेडिट	
रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति-खाता (रेपो द्वितीय चरण)	98.5785	रेपो के तहत प्राप्य प्रतिभूति-खाता ( रेपो प्रथम चरण)	98.5785

रेपो खाते में खरीदी गई प्रतिभूतियां

डेबिट		क्रेडिट	
रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता ( रिवर्स रेपो प्रथम चरण)	98.5785	रिवर्स रेपो के तहत प्रदेय प्रतिभूति-खाता ( रिवर्स रेपो द्वितीय चरण)	98.5785

रेपो खाते में प्रदेय प्रतिभूतियां

डेबिट		क्रेडिट	
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (रिवर्स रेपो द्वितीय चरण)	98.5785	रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति-खाता (रिवर्स रेपो प्रथम चरण)	98.5785

5. यदि रेपो की समयावधि के दौरान ही तुलनपत्र की तारीख जा जाती है तो सहभागी अंतरण खाते अर्थात Repo Interest Payable A/c और Reverse Repo Interest ReceivableA/cका प्रयोग करते हुए संचित ब्याज को दर्ज कर सकते हैं और अगले दिन इसे रिवर्स कर सकते हैं। रेपो के ब्याज की प्राप्य रकम और देय रकमों को लाभ हानि खाते में ले जाया जाएगा और तुलनपत्र में निम्नानुसार उचित प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी:-

संव्यवहार चरण	प्रथम चरण	तुलनपत्र की तारीख	द्वितीय चरण
तारीखें	26-मार्च-18	31-मार्च-18	03-अप्रैल-18

**(क) 31-मार्च-18 को रेपो विक्रेता की बहियों में प्रविष्टियां (निधियां उधार लेने वाला)**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रेपो ब्याज व्यय खाता [खाते की शेष राशि को लाभ-हानि में अंतरित किया जाना है]	0.09723 (6 दिन का रेपो ब्याज)	
रेपो ब्याज देय खाता		0.09723

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
लाभ-हानि खाता	0.09723	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.09723

**(ख) 01-अप्रैल-18 को रेपो विक्रेता (निधियों को उधार लेने वाला) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रेपो ब्याज देय खाता	0.09723	
रेपो ब्याज व्यय		0.09723

**(ग) 31-मार्च-18 को रेपो क्रेता (निधियों को उधार देने वाला) की बहियों में प्रविष्टियां**

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो प्राप्त ब्याज खाता	0.09723	
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता [खाते के तहत शेष राशि को लाभ-हानि में अंतरित किया जाना है]		0.09723 (6 दिन की रेपो ब्याज)



लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.09723	
लाभ-हानि खाता		0.09723

(घ) 01-अप्रैल-18 को रेपो क्रेता (निधियों को उधार देने वाला) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	डेबिट	क्रेडिट
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.09723	
रिवर्स रेपो ब्याज प्राप्य खाता		0.09723